

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, दिनांक: अक्टूबर 23, 2026

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्या 9) की धारा 4 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्या पं.12(30) वित्त/ कर/ 2018-02 दिनांक 01.05.2025 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा निर्दिष्ट करती है कि राज्य कर के विशेष/अतिरिक्त आयुक्त जो नीचे वर्णित सारणी के स्तम्भ संख्या 2 में अंकित पदों पर पदस्थापित हैं, का अधिकारिता क्षेत्र उनके सामने उक्त सारणी के स्तम्भ संख्या 3 में वर्णित अनुसार होगा।

सारणी

क्र. सं.	अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	अधिकारिता क्षेत्र
1	2	3
1.	अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, जयपुर-प्रथम, जयपुर	1. संभाग- जयपुर-प्रथम के समस्त वृत्तों के क्षेत्रों में कारोबार का मुख्य स्थान रखने वाले समस्त व्यवहारी एवं इन क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी अपीलें। 2. राज्य में निवास नहीं करने वाले व्यक्तियों/व्यवहारियों से संबंधित सभी अपीलें।
2.	अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, जयपुर-द्वितीय, जयपुर	राज्य में निवास नहीं करने वाले व्यक्तियों /व्यवहारियों से संबंधित सभी अपीलों को छोड़कर संभाग- जयपुर-द्वितीय के समस्त वृत्तों के क्षेत्रों में कारोबार का मुख्य स्थान रखने वाले समस्त व्यवहारी एवं इन क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी अपीलें।
3.	अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, जयपुर-तृतीय, जयपुर	राज्य में निवास नहीं करने वाले व्यक्तियों /व्यवहारियों से संबंधित सभी अपीलों को छोड़कर संभाग- जयपुर-तृतीय के समस्त वृत्तों के क्षेत्रों में कारोबार का मुख्य स्थान रखने वाले समस्त व्यवहारी एवं इन क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी अपीलें।
4	अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, जयपुर-चतुर्थ, जयपुर	राज्य में निवास नहीं करने वाले व्यक्तियों /व्यवहारियों से संबंधित सभी अपीलों को छोड़कर संभाग- जयपुर-चतुर्थ के समस्त वृत्तों के क्षेत्रों में कारोबार का मुख्य स्थान रखने वाले समस्त व्यवहारी एवं इन क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी अपीलें।
5	अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, जयपुर-पंचम, जयपुर	राज्य में निवास नहीं करने वाले व्यक्तियों /व्यवहारियों से संबंधित सभी अपीलों को छोड़कर संभाग- जयपुर-पंचम के समस्त वृत्तों के क्षेत्रों में कारोबार का मुख्य स्थान रखने वाले समस्त व्यवहारी एवं इन क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी अपीलें।
6	अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर	अलवर संभाग एवं भिवाड़ी संभाग के समस्त वृत्तों के क्षेत्रों में कारोबार का मुख्य स्थान रखने वाले समस्त व्यवहारी एवं इन क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी अपीलें।
7	अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर	अजमेर संभाग के समस्त वृत्तों के क्षेत्रों में कारोबार का मुख्य स्थान रखने वाले समस्त व्यवहारी एवं इन क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी अपीलें।

W

क्र. सं.	अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	अधिकारिता क्षेत्र
8	अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, जोधपुर	संभाग— जोधपुर—प्रथम , संभाग— जोधपुर—द्वितीय एवं पाली संभाग के समस्त वृत्तों के क्षेत्रों में कारोबार का मुख्य स्थान रखने वाले समस्त व्यवहारी एवं इन क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी अपीलें।
9	अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भरतपुर	भरतपुर संभाग के समस्त वृत्तों के क्षेत्रों में कारोबार का मुख्य स्थान रखने वाले समस्त व्यवहारी एवं इन क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी अपीलें।
10	अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर	उदयपुर संभाग के समस्त वृत्तों के क्षेत्रों में कारोबार का मुख्य स्थान रखने वाले समस्त व्यवहारी एवं इन क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी अपीलें।
11	अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर	बीकानेर संभाग एवं श्रीगंगानगर संभाग के समस्त वृत्तों के क्षेत्रों में कारोबार का मुख्य स्थान रखने वाले समस्त व्यवहारी एवं इन क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी अपीलें।
12	अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, कोटा	कोटा संभाग के समस्त वृत्तों के क्षेत्रों में कारोबार का मुख्य स्थान रखने वाले समस्त व्यवहारी एवं इन क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी अपीलें।
13	अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा संभाग के समस्त वृत्तों के क्षेत्रों में कारोबार का मुख्य स्थान रखने वाले समस्त व्यवहारी एवं इन क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी अपीलें।

यह अधिसूचना दिनांक **15.08.2026** से लागू होगी।

[प.12(30) वित्त/ कर/ 2018-35]

राज्यपाल की आज्ञा से,



(नथमल डिलेल)

विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना का आज के असाधारण राजपत्र के भाग-4 (ग) में प्रकाशन करावें।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (कराधान)।
3. मुख्य आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान, जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, वित्त(कर) विभाग।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
11. रक्षित पत्रावली।



विशिष्ट शासन सचिव